न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 18 / 2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 बंशी पुत्र हरनाथ।
2 रामकिशन पुत्र सुलतान।
3 कालूराम पुत्र हरनाथ।
4 सुरजाराम पुत्र हरनाथ समस्त जाति गुर्जर निवासी दरीबा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
5 सुभाषचन्द्र पुत्र प्रेमचन्द जाति अहीर निवासी ढ़ाणी मेघसागर तन सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
6 मनोज कुमार पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी लाम्बा की तन सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 कालुराम पुत्र मालाराम।
2 सन्ती देवी बेवा ख्यालीराम समस्त जाति गुर्जर निवासी दरीबा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
3 राजेन्द्र कुमार पुत्र सुणाराम जाति बलाई निवासी ढाणी नई कोठी सतपिपली तन दरीबा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
4 तहसीलदार नीमकाथाना।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद गौड़ आर.ए.एस. प्रार्थना पत्र संख्या 464 / 2017 उनवानी कालूराम आदि बनाम बंशी आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांकित 06.02.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विमल मोदी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 23.12.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 464/2017 में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 ने योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष अपीलाधीन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपीलांट की भूमियों खसरा नम्बर 583,584व 917 तन ग्राम दरीबा तहसील नीमकाथाना जिला सीकरमें 4 मीटर चौड़ा रास्ता निमित निराधार व अवैध अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया जिसका अपीलांट के द्वारा समुचित जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार अपीलाधीन आवेदन कतई स्वीकार योग्य नही था। परन्तु फिर भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आवेदन आदेश दिनांक 06.02.2018 के माध्यम से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को यह आदेश दे दिया गया कि आप द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 02.08.2017 में प्रस्तावित रास्ता (मार्ग) में आने वाली भूमि के मुआवजा/प्रतिकार की राशि की गणना वर्तमान डी.एल.सी. दर की दुगुनी दर से तय की जावे तथा रास्ते में कोई निर्माण या पेड संरचना आदि हो तो उसका भी नियमानुसार मूल्यांकन किया जाकर सम्पूर्ण मुआवजा राशि प्रार्थीगण से प्राप्त करें। प्रतिकर/मुआवजा राशि का भुगतान प्रभावित व्यक्तियों को किया जावे। राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किया जावे। आदेश की पालना में निर्णय की प्रति के साथ

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तावित रास्ता मय नक्शा की प्रमाणित प्रति संलग्न कर तहरीर जारी की जावें। जिसकी नाराजगी में अपीलांटस की ओर से अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत आवेदन की मद संख्या 01 में खसरा नम्बर 583,584 व 917 मे से होकर हजारों ग्रामवासियों का रास्ता बताया गया है। जबकि मद संख्या 05 में जो रास्ता चाहा गया है उसके मध्य में नदी आती है नदी का खसरा नम्बर 915 है। तहसीलदार की रिपोर्ट से इसकी पुष्टि होती है चाहा गया रास्ता निरन्तर नही है। विचारण न्यायालय में लगभग 10 शपथ पत्र हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये थे जिनमें अंकन है कि चाहे गये रास्ते से आवागमन नही होता है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। आवेदक को नये सिरे से निरन्तर रास्ते के लिए आवेदन करना चाहिए था। विधि की भी यही मंशा है कि रास्ता आर पार होना चाहिए। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पूर्व में रास्ता चालु था हमे परेशान करने के लिए बंद कर दिया ताकि हम अपनी भूमियां इनको बेच दे तहसीलदार की रिपोर्ट में क्या गलत तथ्य है यह कथन नही किया गया है। विचारण न्यायालय ने आपत्ति सही खारिज करके आवेदन स्वीकार किया है। निर्णय की पालना हो चुकी है। अपील सारहीन है खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे. 2019 रेवन्यू पेज 11 से 13 डी.एन.जे. 2018 रेवन्यू पेज 249 से 252 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 583,584 के दक्षिण में एवं खसरा नम्बर 917 के उतरी दिशा से सटाकर रास्ता चाहा गया है। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार ने खसरा नम्बर 583 एवं 917 के पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 918 व 917 किस्म गैर मुमकिन सड़क दर्ज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रिकार्ड होना प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 918 व 919 गैर मुमकिन सड़क से खसरा नम्बर 583 व 584 दक्षिण सीमा एवं खसरा नम्बर 917 के उतरी सीमा से पूर्व पश्चिम 4 मीटर चौड़ा रास्ता लेना एवं यह रास्ता निकटतम होना अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है दिनांक 02.08.2017 की इस रिपोर्ट में खसरा नम्बर 915 गैर मुमकिन नदी होने का भी अंकन है। तहसीलदार की इस रिपोर्ट एवं संलग्न नजरी नक्शे का विचारण न्यायालय ने अवलोकन किये बिना सरसरी तौर पर आदेश पारित कर विचाराधीन आदेश से आवेदन स्वीकार किया है जो प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है। आवेदक द्वारा चाहे गये, तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित किये गये रास्ते को नजरी नक्शे में देखने से ही स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तावित रास्ता और गैर मुमकिन सड़के के मध्य खसरा नम्बर 915 रकबा 1.16 हैक्टेयर गैर मुमकिन नदी पड़ती है। अर्थात आवेदक के खेत से गैर मुमकिन सड़क तक निर्बाध रास्ता नही है गैर मुमकिन नदी में से रास्ता दिया जाना संभव नही है। ऐसी स्थिति में आवेदक का आवेदन, तहसीलदार की रिपोर्ट एवं इनके आधार पर पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है। आवेदक रेस्पोडेंट चाहे तो नये सिरे से निर्बाध नवीन रास्ते के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वंतत्र है।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर